सत्यम् शिवम् सुन्दरम्

प्रसार भारती/Prasar Bharati
(भारत का लोक सेवा प्रसारक/
India's Public Service Broadcaster)
दूरदर्शन महानिदेशालय/DG: Doordarshan
कॉपरनिकस मार्ग/Copernicus Marg
नई दिल्ली/New Delhi-110001

फ.सं.ई-12018/02/2019-हिंदी   दिनांक: 30.08.2019

विषय : दूरदर्शन महानिदेशालय में दिनांक 09.08.2019 को हुई हिंदी कार्यशाला का कार्यवृत्त ।

दूरदर्शन महानिदेशालय में दिनांक **09.08.2019** को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसके कार्यवृत्त की प्रति सूचनार्थ संलग्न है ।

(सत्य प्रकाश)
संयुक्त निदेशक (रा.भा.)

सत्य प्रकाश
संयुक्त निदेशक (रा. भा.)

महानिदेशालय के सभी अधिकारी/अनुभाग/प्रभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :

1. निदेशक (रा.भा.), सूचना और प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
2. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय राजभाषा विभाग, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली ।
3. अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति दिल्ली (मध्य), आकाशवाणी महानिदेशालय, आकाशवाणी भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली ।
4. महानिदेशक/अपर महानिदेशक (प्रशा.) के निजी सचिव ।

दूरदर्शन महानिदेशालय में दिनांक 09.08.2019 को आयोजित

हिंदी कार्यशाला का कार्यवृत्त

राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी वार्षिक कार्यक्रम और आदेशों एवं दिशानिर्देशों के अनुसरण में राजभाषा हिंदी के प्रति सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों में जागरूकता उत्पन्न करने राजभाषा नीति की व्यापक जानकारी देने और सरकारी कामकाज हिंदी में करने में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की झिझक को दूर करने के लिए प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाना अपेक्षित है । इसके अनुपालन में दूरदर्शन महानिदेशालय में दिनांक 09.08.2019 को अपराह्न 03.00 से 05.00 बजे हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई । इस कार्यशाला का उद्देश्य महानिदेशालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट कैसे भरें इस संबंध में जानकारी देना था ।

कार्यशाला में व्याख्याता के तौर पर श्री राम निवास शुक्ल, संयुक्त निदेशक (रा.भा.) (सेवानिवृत्त), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को आमंत्रित किया गया । इस कार्यशाला में भाग लेने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची इस कार्यवृत्त के साथ संलग्न है ।

सर्वप्रथम श्री एन.एल.शर्मा, सहायक निदेशक (रा.भा.) महोदय ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कार्यशाला का शुभारंभ किया और आमंत्रित व्याख्याता का परिचय करवाया । कार्यशाला का आरंभ करते हुए सर्वप्रथम श्री राम निवास शुक्ल ने प्रतिभागियों को राजभाषा हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित किया । उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी हिंदी में कार्य करने में आने वाली बाधाओं के बारे में चर्चा की । श्री शुक्ल ने उनके प्रश्नों को ध्यान से सुना और उनका समाधान भी प्रस्तुत किया । उन्होंने यह भी बताया कि राजभाषा विभाग की हिंदी में कार्य करने संबंधी नीति में प्रेरणा, प्रोत्साहन और पुरस्कार का विशेष स्थान है ।

इसके पश्चात् श्री राम निवास शुक्ल ने प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात अगले माह के प्रथम हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट पूरी तरह से भरकर हिंदी अनुभाग में भेजने पर बल दिया । तत्पश्चात् श्री शुक्ल ने हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट के एक-एक कॉलम में भरी जाने वाले जानकारी के बारे में विस्तार से बताया । इसी दौरान राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा (3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले कागजातों के बारे में बताया और यह भी स्पष्ट कि या गया कि इस धारा के अंतर्गत आने वाले कागजात द्विभाषी रूप से जारी करने अनिवार्य है । इन कागजातों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वह यह सुश्चित करे कि धारा (3) के अंतर्गत जारी कि ए जाने वाले कागजात द्विभाषी जारी हों । इसके बाद उन्होंने राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के बारे में बताया और कहा कि हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया जाए । फिर उन्होंने फाइलों पर हिंदी में कार्य करने के बारे में बताया और कहा कि फाइलों में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार भी दिया जाता है । कुल मिला कर श्री राम निवास शुक्ल ने हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट भरने के बारे में उपस्थितजनों को विस्तार से समझाया और उनके द्वारा हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट भरने के संबंध पूछे गए प्रश्नों का भी विस्तार से जवाब दिया ।

अंत में श्री एन.एल शर्मा, संयुक्त निदेशक (रा.भा.) महोदय ने अतिथि व्याख्याता का धन्यवाद करते हुए सभी उपस्थित प्रतिभागियों को अपना अधिक से अधिक सरकारी कार्य हिंदी में करने हेतु प्रयत्नशील रहने का आग्रह किया और कार्यशाला को संपन्न किया ।

(सत्य प्रकाश)

संयुक्त निदेशक (रा.भा.)

सत्य प्रकाश

संयुक्त निदेशक (रा. भा.)